न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द
(पीठासीन अधिकारी – बिन्दू बाला राजावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–27 / 2018
दायर दिनांक :–05 / 03 / 2018
निर्णय दिनांक :–27 / 04 / 2026

अनवान

1. गोकल पिता नोला गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा के बजाय
   1 / 1. प्रतापी विधवा गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा
   1 / 2. संवाईराम पुत्र गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा
   1 / 3. लेहरूलाल पुत्र गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा
2. हरिराम उर्फ हरा पिता नोला मृतक के बजाय
   2 / 1. गोकल पिता नोला गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा
   2 / 2. ऐजी पिता नोला पत्नि कालु गाडरी नि. भिजलाई तह. मावली उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. नानालाल पिता पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
2. कमलेश पिता पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
3. बबली उर्फ बाली पत्नि स्व. पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
5. निर्मला कुंवर पत्नि मोहनसिंह राजपुत निवासी तितरडी तहसील गिर्वा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से –नवलसिंह राणावत, अधिवक्ता

दिनांक:– 27 / 04 / 2026

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती

– : : निर्णय : : –

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद बाबत् घोषणा एवं राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती के प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम खटुकडा के आराजी संख्या 2112/1813 रकबा 6–05 बीघा स्थित हैं। जिसके साबिक आराजी नम्बर 1/2 मी./980 रकबा 5 बीधा थे। साबिक आराजी नम्बर 1/2मी.980 रकबा 5 बीधा भूमि वादीगण को अलोटमेन्ट कमेटी द्वारा जरिये मिसल नम्बर 148/65 आवंटित की गई एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये नामान्तरकरण संख्या 137 दिनांक 30/03/1967 द्वारा वादीगण के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। उक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि पर कब्जा आधिपत्य वादीगण का है एवं आवंटन पश्चात से वादीगण निर्विघ्न अधिकार पुर्वक लगातार शान्तिपुर्वक जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा कानूनन खातेदारी अधिकार वादीगण को प्राप्त हो चुके हैं।इस भूमि को वादीगण पेमा पिता पीथा कुम्हार व उनके वारिसान की पुर्वतः जानकारी में अधिकार पुर्वक लगातार शान्ति से इन लोगों की पुर्वतः जानकारी व ज्ञान में उपयोग कर रहे हैं कभी भी उज्र एतराज नही किया गया। वादीगण को जमीन आवंटन हुई लगभग उसी समय साबिक आराजी नम्बर 1/2मी./987 रकबा 7बीधा भूमि पेमा पिता पीथा कुम्हार को भी आवंटित हुई जो दिनांक 30.03.67 को ही नामान्तरकरण संख्या 144 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ने म्युटेशन सेंक्सन किया इस साबिक आराजी नम्बर 1/2/987 के नए वर्तमान नम्बर 2113/1813 दर्ज हुऐ। पेमाईस से खसरा मिलान में वादीगण को आवंटित भूमि एवं पेमा कुम्हार को आवंटित भूमि स्पष्ट रूपेण अलग अलग हवाला दिया हुआ हैं। पेमाईश पश्चात राजस्व रेकार्ड में वर्तमान आराजी नम्बर 2112/1813 रकबा 6.05 भूमि वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से अंकित होनी चाहिए थी एवं वर्तमान आराजी नम्बर 2113/1813 रकबा 6.05 पेमा पिता पीथा कुम्हार के नाम पर अंकित होनी चाहिए थी परन्तु सहवन से उक्त दोनों ही जमीनें अकेले पेमा पिता पीथा कुम्हार के नाम पर अंकित हो गई जो त्रुटिपुर्ण हैं जिनका दुरस्तीकरण करना जरूरी है तथा यह घोषणा किया जाना जरूरी हैं कि ग्राम खटुक्डा की वर्तमान आराजी नम्बर 2112/1813 रकबा 6.05 भूमि के वादीगण खातेदार काश्तकार हैं तथा इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्त किया जाना जरूरी हैं। पेमा पिता पीथा कुम्हार ने आराजी नम्बर 2113/1813 भूमि को शंकरलाल मांगीलाल पिता जयचन्द सुथार को अन्तरित कर दी हैं व जमीन उन्ही के नाम पर दर्ज कर दी गई। वादीगण के कब्जा व खातेदारी हक की आराजी नम्बर 2112/1813 रकबा 6.05 भूमि पेमा पिता पीथा कुम्हार के नाम दर्ज चलती रही, वादीगण को कभी भी जानकारी नही हुई क्योंकि पेमा या उनके वारिसान ने कभी भी ऐतराज नही किया व वादीगण आराजी नम्बर 2112/1813 रकबा 6.05 भूमि को आज दिन तक उपयोग उपभोग कर रहे हैं। पेमा की मृत्यु पर जमीन उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 01,02,03 के नाम पर अंकित हो गई जिससे उन्हें पक्षकार बनाए गए हैं। वादीगण को कुछ समय पूर्व जमीन की नकले निकलवाने का काम पडा तो उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ तब कानूनी सलाह लेकर सब नकले निकजवाई एवं प्रतिवादी संख्या 04 को धारा 80 सी.पी.सी. में एक पंजिकृत सूचना पत्र दिनांक 19.11.2007 को प्रेषित करके मांग की कि ग्राम खटुकडा की आराजी नम्बर 2112/1813 रकबा 6.05 भूमि को वादीगण के नाम पर खातेदारी हक से अंकित करे। प्रतिवादी संख्या 04 को उक्त 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिनांक 20.11.2007 को मिल गया

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किन्तु दो माह की अवधि दिनांक 20.1.2008 को पूरी हो जाने पर भी वांछित दाद प्रदान नही करने पर गरीब वादीगण को यह वाद दायर करने हेतु मजबूर होना पडा हैं। वाद कारण दिनांक 20.11.2007 व 20.1.2008 को उत्पन्न होकर लगाातार जारी हैं। मामला राजस्व भूमि से संबधिंत होकर आप न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता प्राप्त हैं। वाद मुल्यांकन 400/– रूपये कायम किया जाकर नियत न्याय शुल्क पर वाद अन्दर मयाद प्रस्तुत हैं। अतः वादीगण का वाद खिलाफ प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर इस आश्य की घोषणा की डिक्री पारित फरमाई जाए कि वाद पत्र की पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि में वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है एवंम प्रतिवादी संख्या 01, 2, 3 को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं तथा राजस्व रेकर्ड मे अंकित प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03 के नाम विलोपित किए जाकर वादीगण के नाम दर्ज किए जाए। तदनुसार रेकर्ड में इन्द्राज दुरस्त किया जाए। कि अन्य कोई दाद जो विधि व न्यायनुसार प्रदान की जा सके प्रदान की जाए।

प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा निम्न प्रकार हैः–

1. वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही हैं।
2. वाद पत्र की कलम संख्या 2 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही हैं।
3. वाद पत्र की कलम संख्या 3 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही हैं।
4. वाद पत्र की कलम संख्या 4 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही होने से जवाब देही नही की जा सकती हैं। प्रतिवादी संख्या 1 नामान्तरकरण तस्दीक करने वाला नही हैं।
5. वाद पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित तथ्य जानकारी के अभाव में स्वीकार नही हैं।
6. वाद पत्र की कलम संख्या 6 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही है। पैमाईश में सही इन्द्राज हुए हैं। दावा बेरून मियाद हैं।
7. वाद पत्र की कलम संख्या 7 जानकारी के अभाव में स्वीकार नही हैं। इनकी जमीन मेरी खरीदशुदा जमीन के दक्षिण में स्थित हैं।
8. वाद पत्र की कलम संख्या 8 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही हैं। पेमा की जमीन उनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के नाम सही अंकित हुई और कब्जा भी शुरू से उन्ही का चला आ रहा होने से उन्होनें मुझ प्रतिवादी संख्या 5 को विवादीत जमीन बिल एवज एक लाख रूपयों में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 23.03.2010 को विक्रय पत्र निष्पादित करा पंजिबद्व करा दिया तभी से मैं निरन्तर निर्विघ्न काबिज चली आ रही हूॅ।
9. वाद पत्र की कलम संख्या 9 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही हैं। जो कि कानूनी हैं।
10. वाद पत्र की कलम संख्या 10 में अंकित तथ्य मुझ प्रतिवादी संख्या 5 से सम्बन्धित नही हैं। जिससे जवाब की आवश्यकता नही हैं।
11. वाद पत्र की कलम संख्या 10 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही हैं।
12. वाद पत्र की कलम संख्या 12 में अंकित तथ्य कानूनी हैं। जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी संख्या 5 ने क्रय की है, जो कि बोनाफाईड परचेजर विदाउट नोटिस विथ वेल्यु हैं। अतः जब तक सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त नही

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

करा लिया जाता तब तक यह दावा पोषणीय नही है। यह वाद पत्र आप न्यायालय के श्रवणाधिकार का नही हैं। इसकी अधिकारीता अनन्य रूप से सिविल न्यायालय को है।

13. वाद पत्र की कलम संख्या 13 में अंकित तथ्य गलत होने से स्वीकार नही हैं। मालियत कम ऑकी गई है और उस कारण अपर्याप्त न्याय शुल्क पर वाद पत्र प्रस्तुत किया जिससे भी दावा पोषणीय नही हैं।
अतः वादी गलत एवं निराधार होने से वादीगण कोई सहायता प्राप्त नही कर सकते है दावा वादी स्व्यय निरस्त होने योग्य हैं। अन्तर्गत धारा 35 ए जा. दी. विशेष हर्जा – खर्चा प्रतिवादी संख्या 5 को दिलाया जावे।

प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गई :–

1. आया ग्राम खटुकडा की आराजी संख्या 2112/1813 क्षैत्रफल सवा छः बिधा साबिक आराजी नम्बर 1/2मीन बटट 980 क्षैत्रफल 5 बीधा थे?

जिम्मे–वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी वादीगण को आवंटित हुई व नामान्तरकरण स्वीकृत हुआ?

जिम्मे–वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी संख्या 2112/1813 क्षैत्रफल 6.05 भूमि वादीगण के खातेदारी हक से घोषणा कराने का अधिकारी हैं?

जिम्मे–वादी

4. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 व उनके पूर्वजों का प्रतिकुल कब्जा 41 वर्ष होने से वादीगण के खातेदारी हक एक्सटिंगविश होने से वाद निरस्त होने योग्य हैं?

जिम्मे–प्रतिवादीगण

5. आया वादीगण वाद मयाद अवधि से बाधित होने से निरस्त होने योग्य हैं?

जिम्मे–प्रतिवादीगण

6. आया प्रतिवादी निर्मला का क्रय शुदा विक्रय पत्र सिविल न्यायालय से निरस्त नही करा दिया जाता है तब तक वादीगण का वाद चलने योग्य नही हैं?

जिम्मे–प्रतिवादीगण

7. अनुतोष

तनकी संख्या – 01 आया ग्राम खटुकडा की आराजी संख्या 1813 रकबा 6.05 साबिक आराजी नम्बर 1/2मी. 980 क्षैत्रफल 5 बीधा था। इस विवादक को वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श –01 सूचना पत्र प्रदर्श –02 डाक रसीद प्रदर्श –03 पावती रसीद प्रदर्श–04 डाक रसीद प्रदर्श –05 पावती रसीद प्रदर्श –06 जो कि गोकल,हरा पिता नोला गाडरी को आवंटित हुई नामान्तरकरण पंजिका संख्या 137 निर्णित हुआ प्रदर्श –07 पेमा पिता पीथा कुम्हार को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण पेश किया गया। प्रदर्श –08 प्रदर्श –09 खसरा पत्रक पेश किया गया जिसमें प्रदर्श A से B भाग में गोकल,हरा गाडरी को आराजी संख्या 1212/1813 क्षेत्रफल 6.05 का गत भू–माप में आराजी संख्या 1813मीन/1/2

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

980, 137, 153 दर्ज अभिलेख है प्रदर्श –10 नक्शा ट्रेस हैं। प्रदर्श –11 सहवन से पेमा पिता पीथा के नाम से त्रुटिपूर्ण दर्ज हुआ क्योंकि उक्त आराजी गोकल,हरा पिता नोला गाडरी के नाम पर वक्त पेमाईस प्रदर्श –12 के जरिये दर्ज थी इसी प्रकार प्रदर्श –09 में उक्त भूमि आवंटन हुई। प्रदर्श–06 के जरिये नामान्तरकरण गोकल,हरा पिता नोला गाडरी के नाम पर दर्ज थी जिससे वादीगण ने यह स्पष्ट रूप से साबित किया गया कि वादग्रस्त भूमिया गोकल,हरा पिता नोला के नाम पर दर्ज जमाबंदी, खसरा पत्रक नामान्तरकरण के जरिये वादीगण तनकी संख्या –01 को साबित करने मे पूर्ण रूप से सफल हुए है जिससे तनकी संख्या –01 वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या – 02 आवंटन जो कि तनकी संख्या –01 में विवेचन किया गया जिसके आधार पर तनकी संख्या–02 भी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती है

तनकी संख्या – 03 अनुतोष से सम्बन्धित है जिससे तनकी संख्या 01 एव 02 वादीगण के पक्ष में निर्णित किये जाने से आराजी संख्या 2112/1813 क्षैत्रफल 6.05 भूमि वादीगण की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी हैं।

तनकी संख्या – 04 उक्त तनकी प्रतिवादीगण के जिम्मे होकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त होने से सम्बन्धित है यहा पर न्यायालय विनम्र मत के आधार पर प्रतिवादीगण जहा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर घोषणा मागी गयी । ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को स्वीकार करना माना जायेगा प्रतिवादीगण ने विरोधाभासी अभिवचन किया गया। एक तरफ प्रतिवादीगण ने स्वयं की खातेदारी भूमि होना बताया गया एवं विकल्प में प्रतिकूल कब्जा होना बताया गया प्रतिवादीगण का साक्ष्य का अवलोकन करने पर डीडब्ल्यु 01 कमलेश प्रजापत परिपक्स हुआ जिस पर प्रदर्श ए 01 पर हस्ताक्षर होना बताया गया आगे प्रतिपरिक्षण में आराजी संख्या 2112/1813 अपने पिता पेमा को आवंटन होना बताया गया जो कि दस्तावेजी साक्ष्य मिथ्या वर्णित किया गया आगे यह भी कहा गया कि आराजी संख्या 2112/1813 भूमि उसके पिता के आवंटित हुई हो ऐसा रिकार्ड पेश नही कर सकता आगे इस बत को स्वीकार करता है कि प्रदर्श ए 03 के जरिये दिनांक 24/3/2010 को पंजिकृत विकय पत्र निस्पादित किया गया व प्रदर्श ए 03 के विपरित मौखिक साक्ष्य दी गयी की कब्जा निर्मला कुंवर को सिपुर्द नही किया व कब्जा अपने पास रखा आगे इस बात को स्वीकार किया गया यह कहना सही है प्रदर्श ए 03 कब्जा निर्मला कुवंर को सिपुर्द करना सही अंकन किया गया वादग्रस्त आराजीयात के पडौसियो से कोई विवाद होना नही बताया गया आगे इस बात को स्वीकार किया गया की शंकरलाल सुथार पश्चिम पडौसी है एवं गणेशलाल गाडरी पूर्व पडौसी है उक्त दोनो गवाहन वादीगण की ओर परिक्षित कराये गये जिन्होंने वादीगण का कब्जा साबित किया गया इन परिस्थियों में प्रतिवादीगण को कोई प्रतिकूल कब्जा परीपक्व होना साबित नही पाया जाता है एव प्रतिवादीगण के द्वारा साक्षी इन्द्रसिह व बहादुरसिह ने सटमा पडौसी नही होना व वादग्रस्त भूमियों पर प्रतिवादी कमलेश कभी कोई फसल काश्त नही की गयी इन परिस्थियो में डीडब्ल्यु 02 व 03 प्रतिवादीगण का कब्जा होने के सम्बन्ध में समर्थन नही करते है जिससे तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णित की जाती हैं।

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तनकी संख्या – 05 आया वादीगण का वाद मियाद अवधि से बाधित होने से निरस्त होने के सम्बन्ध में हैं जब तनकी संख्या 04 प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित कर दी गयी जिससे वादीगण का वाद घोषणा बाबत अन्दर अवधि व कब्जा वादीगण का साबित होने से उक्त तनकी प्रतिवादी के विरूद्व निर्णित की जाती हैं

तनकी संख्या – 06 आया विकय पत्र निर्मला कुवंर निस्पादित किया गया जो शुन्य होने से सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही होने तक प्रभावि है उक्त तनकी के सम्बन्ध में निर्मला कुवर स्वयं परिक्षित नही हुई एव वादीगण के द्वारा अपने हद तक विकय पत्र को शुन्य साबित किया गया क्योकि उनके हक अधिकारों के तहत प्रतिवादीगण को अंन्तरित करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादीगण को कोई खातेदारी अधिकारी प्राप्त नही हुए ऐसी स्थिति में प्रदर्श ए 03 विकय पत्र प्रारम्भ से शुन्य है जिससे उक्त तनकी प्रतिवादी निर्मला के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण अपने जिम्मे समस्त तनकीयात साबित करने में पूर्ण रूप से सफल होने एवं प्रतिवादीगण अपने जिम्मे समस्त तनकी साबित करने में असफल रहे जिससे वादीगण को वादग्रस्त भूमि जो कि वादग्रस्त भूमि वाद की पैरा संख्या 1 में वर्णित है के खातेदारी अधिकारो की घोषणा की जाती है वादग्रस्त भूमि वादीगण के खातेदारी अधिकार की घोषणा के आधार पर तहसीलदार को वादीगण के नाम पर जमाबंदी में अंकन किये जाने बाबत डिक्री पालना हेतु लिखा जावे प्रतिवादीगण के नाम जमाबंदी से विलोपित किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती है। ओपचारिक डिक्री पर्चा कायम हो

– : : निर्णय : : –

न्यायालय की विनम्र मत में प्रतिवादीगण ने एक तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिपवाद पत्र प्रस्तुत नही किया गया बिना प्रतिपवाद के प्रतिवादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता क्योकि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिपवाद प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं। एवं वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुर्ण रूप से सफल हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की डिकी प्रदान की जाती हें। वादीगण का वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनाक 27/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

(मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी :– बिन्दू बाला राजावत आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :–27 / 2018

दायर दिनांक :–05 / 03 / 2018

निर्णय दिनांक :–27 / 04 / 2026

अनवान्

1 गोकल पिता नोला गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा के बजाय

1 / 1. प्रतापी विधवा गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा

1 / 2. संवाईराम पुत्र गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा

1 / 3. लेहरूलाल पुत्र गोकल गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा

2. हरिराम उर्फ हरा पिता नोला मृतक के बजाय

2 / 1. गोकल पिता नोला गाडरी निवासी खटुकडा तहसील रेलमगरा

2 / 2. ऐजी पिता नोला पत्नि कालु गाडरी नि. भिजलाई तह. मावली उदयपुर

वादीगण

बनाम

1. नानालाल पिता पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
2. कमलेश पिता पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
3. बबली उर्फ बाली पत्नि स्व. पेमा कुम्हार निवासी खटुकडा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा
5. निर्मला कुंवर पत्नि मोहनसिंह राजपुत निवासी तितरडी तहसील गिर्वा

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वादी की ओर से चावण्डसिंह शक्तावत, अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से –नवलसिंह राणावत, अधिवक्ता

दिनांक:– 27 / 04 / 2026

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती

– : : निर्णय : : –

न्यायालय की विनम्र मत में प्रतिवादीगण ने एक तरफ प्रतिकूल कब्जे के आधार पर प्रतिपवाद पत्र प्रस्तुत नही किया गया बिना प्रतिपवाद के प्रतिवादीगण को कोई अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता क्योकि प्रतिवादीगण के द्वारा प्रतिपवाद प्रस्तुत नही किया गया है जिससे प्रतिवादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नही हैं। एवं वादीगण ने अपने मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पुर्ण रूप से सफल हुए हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री प्रदान की जाती हें। वादीगण का वाद बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनाक 27/04/2026 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया

(बिन्दू बाला राजावत RAS)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा